30/5/2024 पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी जा चुकी है। वादी का ~~प्रार्थना पत्र~~ दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में किसी प्रकार की कोई मदाखलत मजाहमत न करें तथा ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे वादी के कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और किसी प्रकार की दखलदांजी न करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मदन बनाम रामजीलाल वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम **मुकदमा नंबर 10/2019**
यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजीयात वादी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है और प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में किसी भी प्रकार की कोई मदाखलत मजाहमत न करें तथा ऐसा कोई कृत्य कारित नहीं करे जिससे कि वादी के कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे और किसी प्रकार की कोई दखलदांजी न करें। अतः वादी का वादपत्र सिद्ध स्वीकार किया जाता है।

बैज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..30..05..2024 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत————

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
			मीजान		
मीजान					

30/5/24

1. मदन पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. रेवती पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. घनश्याम पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 10/2019
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30/5/2024

1. मदन पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. रेवती पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. घनश्याम पुत्र ननुआ जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री बृजेश शर्मा एड0(वादी)

श्री जगवीर सिंह एड0(प्रतिवादी)

निर्णयदावा 188 आर.टी.ए.

1. यह कि पक्षकारान मुकदमा में ऐसा कोई सख्स नहीं है जो वाद कि लिए अयोग्य हो सभी पक्षकारान वादपत्र लडने के योग्य हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 131 रकबा 0.25 व 142 रकबा 0.47 व 451 रकबा 0.01 व 489 रकबा 0.21 व 1332 रकबा 0.67 व 1339/636 रकबा 0.04 व 1401/921 रकबा 0.15 व 1402/992 रकबा 0.06 कुल किता 8 कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर स्थित ग्राम नयावास तहसील नदबई वादी की विभाजन से प्राप्त आराजी है जिस पर वह न्यारानूर काश्त करता हुआ चला आ रहा है।

30/5/24

3. यह कि प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है परन्तु वह लठैत किस्म के आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति हैं जो तानाशाही तरीके से वादी को विवादित आराजी से महरूम करने पर आमादा है जिसकी धमकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.02.2019 को वादी को मौके पर दी है जिन्हें कि ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो इससे वादी को अपूर्तियोग्य क्षति पहुंचेगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। वदीवजह प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है।

4. यह कि विनाय मुखास्मत दावा हाजा योम देने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 20.02.2019 को दिए जाने से पैदा होकर वादी को यह दावा पेश करना लाजिमी हुआ है।

5. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदालत को वाद श्रवण करने व निर्णय देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

6. यह कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा इस कद पाबंद किया जावे कि वह वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी मुतदाविया पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे व ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के कानूनी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री जगवीर सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिवादीगणों को जबाब दावा पेश किये जाने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद भी जबाब दावा पेश नहीं किया गया, तथा दिनांक 10.03.2022 को प्रतिवादीगणों का जबाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में शपथ पत्र पेश किए गए तथा प्रतिवादीगणों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए लिहाजा दिनांक 23.04.2024 से साक्ष्य बंद किए गए।

30/5/24

उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों द्वारा बहस नहीं की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 131 रकबा 0.25 व 142 रकबा 0.47 व 451 रकबा 0.01 व 489 रकबा 0.21 व 1332 रकबा 0.67 व 1339/636 रकबा 0.04 व 1401/921 रकबा 0.15 व 1402/992 रकबा 0.06 कुल किता 8 कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर स्थित ग्राम नयावास तहसील नदबई पर स्थित है जिस पर वह न्यारानूर काश्त करता चला आ रहा है। हाल जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का उक्त विवादित आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त आराजीयात से वादी को बेदखल करने की धमकी भी दी गई।

अतः आदेश है कि उक्त विवादित आराजीयात वादी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है और प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में किसी भी प्रकार की कोई मदाखलत मजाहमत न करें तथा ऐसा कोई कृत्य कारित नहीं करे जिससे कि वादी के कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे और किसी प्रकार की कोई दखलदांजी न करें। अतः वादी का वादपत्र सिद्ध स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

30/5/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

सत्यमेव जयते